

राष्ट्रगान के सम्मान की रक्षा

प्रलिस के ललल:

अनुच्छेद 51(A), राष्ट्रगान का इतललस और वकलस, राष्ट्रलल गौरव अपडान नवलरण अधनलडड 1971

डेनस के ललल:

राष्ट्रलल डुरतलकल की रोकथडड, राष्ट्रगान का डडडडन और सरवुकुक नडडडलड के नरलणड

करकड डें कडुल ?

हलल ही डें शुरलनगर डें करडकडरल डडसलडुरेड ने एक करडकडरड जहलल जडडडू-कशडूर के उडरलजडडडल डडूड थे ,डें राष्ट्रगान के ललल खडे नहलल होने के आरुड डें 11 लुगुल कु हरलसत डें लेने के डडड करलवलस डेज डडल।

- उनहूने आदेश डें कलल गडड डें कल "इस डडड की डूरल संडडडन डें करललल होने डुखे शलंतडडंग करने उलूलंगन करुंगे और सरलवजनकल शलंतडड डडड डडड कर सकते हूँ"।
- उनहूने CRPC की धलरल 107/151 के अंतरगत अकुकुे वडडवलर के ललल डडडुड ("डडडंड डडडन") कडल गडड थल।

नूड:

- कलनूनी शडडुल डें, "डडडंड डडडन" कल अरुथ डें कलसी नशलकतल तलरलख डर डडड अडकलरल डड नडडडलड के सलडने उडसुथतल हुनल आलवशुडक डें।
- अडडडुकुत नडडडलड के सडकष उडसुथतल हुने के ललल डडडनत डड वडकुकतगत गलरंडुड से डडडुड डें।

करडकडरल डडसलडुरेड

- CRPC, डडसलडुरेड कु 2 डुरकलरुल डें वरगुकुत करतल डें- करडकडरल डडसलडुरेड और नडडडकल डडसलडुरेड। CRPC की धलरल 3(4) डुनुल के डडड डेहतर संडडुल कु ललगू करतल डें।
- एक करडकडरल डडसलडुरेड (EM), करडकडरल शलखल कल एक अडकलरल हुनल डें जसलके डडड डडडडड डडडडड डडडडड (IPC) और आडरलधकल डुरकुरडल संहतल (CRPC) डुनुल के अंतरगत शकुकुतल हुनल डें।
- EM की नडडुकुतल रलजडड सरकरलुल डुवलरल कल डडडल डें, और वे डुखुड रूड से कलनून तथल वडडवसुथल डनलए रलखने एवं डुलसल और डुरशलसनकल करडकडरल डुरने डर धडडन केंडुरतल करते हूँ।
 - डूसरल ओर, नडडडकल डडसलडुरेड सजल/जुरडनल/हरलसत कल डुसलल सुनलते हूँ और डडड कल डुरकुरडल डें सलकषुडुल की डडड करते हूँ।
 - सलथ ही, नडडडकल डडसलडुरेड उकुक नडडडलडुल के सीधे नडडडतुरण डें हुनल डें।
- EM कडड-कडड नडडडलडुल के रूड डें करडकडरल करते हूँ डडड वे शलंतल और वडडवसुथल डनलए रलखने (CRPC धलरल.107) के संडडड डें डडड (CRPC धलरल.116) करते सडड नडडडकल डुरकुकुतल के अनुरूड करडकडरल करते हूँ।

CRPC की धलरल 107 और धलरल 151

- धलरल 107: धलरल 107 के अनुसलर, एक EM डडड अनुरुध कर सकतल डें कलकुल डडडकुकुतल डडड करण डुरडरशतल करे कल उनहूने अडकुकुतडड एक वरष के ललल शलंतल डनलए रलखने के ललल डडड डर हसुतलकषर करने की आलवशुडकतल कडुल नहलल हुनल डडडडड, डडड EM कु डडडनकलरल डें कल वडडकुकुतल ने अशलंतल डुललरुड डें (डडड इसकल संडडडन डें) डडड सरलवजनकल शलंतल कु डडड कडल डें।
 - कुल डडड EM ऐसल कररुवलरुड कर सकतल डें, डडडरुते कुल एक (डडड डुनुल नहलल) उसके अडकलर कषुडुर से संडडड हुनल:

- वह स्थान जहाँ इस प्रकार की शांतिभंग होने की संभावना हो
- वह व्यक्ति जिससे शांतिभंग होने की संभावना हो
- धारा 151: यह **संज्ञेय अपराधों** को घटति होने से रोकने के लिये गरिफ्तारी का प्रावधान करता है।
 - यह एक पुलिस अधिकारी को अधिकृत करता है जसिं ऐसे किसी अपराध को करने की योजना बना रहे कुछ व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तब उन्हें वारंट या मजसि्ट्रेट के आदेश के बिना ही गरिफ्तार करने का अधिकार प्राप्त है।
 - हालाँकि, उन्हें **24 घंटे से अधिक समय तक के लिये हरिसत में नहीं रखा जा सकता** जब तक कि अगले आदेश (या किसी अन्य कानून) में ऐसा प्रावधान न किया गया हो।

भारत का राष्ट्रगान:

- परचिय:
 - यह **रवीन्द्रनाथ टैगोर** द्वारा रचति भारत के **राष्ट्रीय प्रतीकों** में से एक है। यह गान भारत की राष्ट्रिय वरिसत के साथ देशभक्ति और नषिठा को प्रदर्शति करता है।
- मूल स्रोत:
 - टैगोर ने 27 दसिंबर, 1911 को कलकत्ता में कांग्रेस के सत्र में पहली बार राष्ट्रगान प्रस्तुत किया।
 - वर्ष 1941 में इसे फरि से **सुभाष चंद्र बोस** द्वारा प्रस्तुत किया गया लेकिन उन्होंने मूल गीत से थोड़ा अलग संस्करण अपनाया, जसिं 'शुभ सुख चैन' कहा गया।
- विकास और अंगीकरण:
 - टैगोर ने पहला गान बंगाली में 'भरोतो भाग्यो बधिता' लिखा था जसिं बाद में संपादति किया गया तथा 'जन गण मन' के रूप में अनुवादति किया गया।
 - 24 जनवरी, 1950 को तत्कालीन राष्ट्रपति **डॉ. राजेंद्र प्रसाद** द्वारा इसे राष्ट्रगान के रूप में अपनाने की घोषणा की गई।

राष्ट्रगान के सम्मान की रक्षा के लिये सुरक्षा उपाय:

- अनुच्छेद 51 (A):
 - यह भारत के नागरिकों के **मौलिक कर्तव्यों** का भाग है।
 - संवधान के मूल्यों और संस्थानों के साथ-साथ राष्ट्रिय ध्वज और राष्ट्रगान को बनाए रखने की ज़मिमेदारी प्रत्येक भारतीय नागरिक की है।
- राष्ट्रिय गौरव के अपमान की रोकथाम (PINH) अधिनियम, 1971:
 - अधिनियम में प्रावधान किया गया कि राष्ट्रगान का अपमान करने और उसके प्रतबिंधों को तोड़ने पर **कठोर सजा** दी जाएगी।
 - आरोपी को **3 वर्ष तक की कैद या जुर्माना** या दोनों से दंडति किया जाएगा।
- राष्ट्रगान आचार संहति:
 - इसमें यह प्रावधान है कि जब भी राष्ट्रगान गाया या बजाया जाएगा, तो **दर्शक सावधान मुद्रा खड़े रहेंगे**।
 - हालाँकि, जब किसी न्यूज़रील या वृत्तचतिर के दौरान फलिम के एक भाग के रूप में राष्ट्रगान बजाया जाता है, तो **दर्शकों से खड़े होने की उम्मीद नहीं** की जाती है।
 - इसमें उन अवसरों को भी सूचीबद्ध किया गया है जहाँ राष्ट्रगान का संक्षपित या पूरण संस्करण ही बजाया जाएगा।

राष्ट्रगान के सम्मान के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय:

- बजिो इमैनुएल और अन्य बनाम केरल राज्य (1986):
 - सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मामले में राष्ट्रगान के कथति अनादर से संबंधति कानून नरिधारति किया गया था।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने ईसाई संप्रदाय के 3 बच्चों को सुरक्षा प्रदान की, न्यायालय का यह मानना था कि राष्ट्रगान गाने के लिये बच्चों को मज़बूर करना उनके **धार्मिक स्वतंत्रता** के मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 25) का उल्लंघन है।
 - उन बच्चों के माता-पति ने केरल उच्च न्यायालय में अपील की कि ईसाई धर्म के यहोवा के साक्षी संप्रदाय में केवल यहोवा (ईश्वर का हबिरू नाम) की आराधना की अनुमति है। उनका कहना था कि चूँकि राष्ट्रगान एक प्रार्थना है, वे सम्मान में खड़े तो हो सकते थे, लेकिन गा नहीं सकते थे।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सम्मानपूर्वक खड़ा होना और खुद न गाना न तो किसी को राष्ट्रगान गाने से रोकता है और न ही गाने के लिये एकत्रति हुए लोगों को किसी भी प्रकार की परेशान करता है। अतः यह राष्ट्रिय गौरव अपमान नवारिण अधिनियम (Prevention of Insults to National Honour- PINH) अधिनियम 1971 के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं आता है।
- श्याम नारायण चौकसी बनाम भारत संघ (2018):
 - वर्ष 2016 में इसी मामले की सुनवाई करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने एक अंतरमि आदेश पारति किया था जसिमें भी भारतीय सनिमाघरों को फलिम शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाना अनवारिण था और हॉल में मौजूद सभी लोगों के लिये खड़े हो कर इसका सम्मान करना अनवारिण था।
 - हालाँकि, जनवरी 2018 में मामले पर अपने अंतमि फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि सनिमा हॉल में फीचर फलिमों की स्क्रीनिग से पहले राष्ट्रगान बजाना अनवारिण नहीं है, बल्कि वैकल्पिक है"।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में, नमिनलखिति में से कौन-सा कथन सही है? (2021)

- (a) पगिलि वैकैया ने यहाँ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तरिगे का डजिइन कथि।
- (b) पट्टाभि सीतारमैया ने यहाँ से आंध्र कषेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कथि।
- (c) रवीन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांगला से अंगरेजी में अनुवाद कथि।
- (d) मैडम ब्लावात्स्की और करनल ओलकोट ने सबसे पहले यहाँ थियोसोफिकल सोसायटी का मुख्यालय स्थापति कथि।

उत्तर: (c)

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/protecting-the-honour-of-national-anthem>

